कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी ।

पत्र संख्या :एसटी / एफएस / आई–3(बी) / 2014 दिनांक : मई 18 , 2014

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी ।

विषय : आवेदक श्री ओंकार नाथ माहेश्वरी पुत्र स्व0 रघुनाथ प्रसाद माहेश्वरी " **डायरेक्टर** " बालाजी इन्फ्राकेयर प्रा0 लि0,द्वारा आराजी संख्या–250, 251, मौजा तुलसीपुर परगना देहात अमानत पर प्रस्तावित ग्रु0हा0 भवन निर्माण के संबंध में स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक ।

संदर्भ : आपका पत्रांक : 2 / 14,ग्रु0हा0 / वि0प्रा0 / विन्यास / 2012–13 दिनांक:08–05–2014

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त संबंध में आवेदक के आराजी संख्या–250 , 251 , मौजा तुलसीपुर , परगना देहात अमानत थाना भेलूपुर वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रु0हा0 भवन निर्माण हेतु स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करवाया गया तो स्थल उपयुक्त पाया गया । अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना व एन0बी0सी0 के मानकों का पालन करना भवन स्वामी / सोसायटी का उत्तरदायित्व होगा ।

1– भवन का निर्माण कार्य निर्माण कार्य उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम–2005 तथा उ0प्र0 भवन निर्माण व विकास उपविधि–2008 व एन0 बी0 सी0 –2005 में प्राविधानित अग्नि सुरक्षा नियमों / निर्देशों का पालन भवन स्वामी / सोसायटी द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा ।

2– भवन तक पहुँच मार्ग एन0बी0सी0 मानक के अनुरूप सदैव अवरोध रहित रखना होगा ।

3– भवन के चारो तरफ सेट बैक मानक के अनुरूप अवरोध रहित रखना होगा , उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतया वर्जित होगा ।

4– भवन में जीनें का निर्माण मानक के अनुरूप करना होगा तथा भवन में दो जीनें का निर्माण परस्पर दुरी पर करना होगा । आन्तरिक जीनें की न्यूनतम् चौड़ाई–1–1 / 5 मीटर रखना होगा। तथा अधिकतम् ट्रैवल डिस्टैन्स की अपेक्षाओं का पालन करना होगा ।

5– बेसमेण्ट में पर्याप्त वेन्टीलेशन सुनिश्चित किया जायेगा । बेसमेण्ट के निर्माण में भवन निर्माण व विकास उपविधि–2008 में अग्नि सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा ।

6– भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशंर) भारतीय मानक संख्या–2190::1992 के अनुरूप प्रत्येक तल पर स्थापित किया जायेगा ।

7– भवन में डाउन कमर सिस्टम स्थापित करना होगा । प्रत्येक तल पर होजरील तथा लैण्डिंग वाल्व की व्यवस्था आवश्यक है तथा प्रत्येक लैण्डिंग वाल्व के पास होज बाक्स में डिलेवरी होज पाईप तथा साधारण ब्रान्च पाईप रखना आवश्यक होगा ।

8– भवन के चारो तरफ यार्ड हाईडेण्ट स्थापित करना होगा तथा यार्ड हाईडेण्ट के पास होज बाक्स स्थापित कर उसमें डिलेवरी होज पाईप व साधारण ब्रान्च पाईप रखना होगा ।

9– भवन के बेसमेण्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना होगा ।
10– भवन में प्रत्येक तल पर फायर एलार्म सिस्टम लगाना होगा ।
11– भवन के टैरेस पर अग्निशमन कार्य हेतु 25,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक का निर्माण करना होगा तथा उससे सम्बद्ध 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरेस पम्प स्थापित करना होगा उसके संचालन हेतु विद्युत व जनरेटर की व्यवस्था कर सम्बद्ध करना आवश्यक होगा ।
12– भवन के प्रत्येक तल पर निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेतयुक्त चिन्ह स्थापित करना होगा ।
13– भवन में फायरमैन स्वीच युक्त लिफ्ट की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा तथा कम्यूनिकेशन की व्यवस्था भूतल पर स्थित कन्ट्रोल रूम से करना होगा ।
14– भवन में निकास मार्ग व अग्नि से बचॉव मार्ग की व्यवस्था सदैव अवरोध रहित रखना होगा।
15– भवन में स्थापित किये जाने वाले अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों के अनुरक्षण तथा उनके प्रचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा ।
16– अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण/परीक्षण कराते हुये प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना भवन स्वामी/सोसायटी का उत्तरदायित्व होगा ।
17– भवन की प्रस्तावित ऊँचाई 24 मीटर है । मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा अगर परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो उसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से पुनः मानचित्र अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा ।
18– प्रस्तावित भवन के मुख्य गेट पर अग्निशमन कार्य हेतु एक टू वें फायर सर्विस इनलेट स्थापित किया जाना आवश्यक होगा ।
19– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का अकंन मानचित्र में किया जाना आवश्यक होगा ।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि आवेदक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा अधिवासित होने से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वामी/सोसायटी की होगी । उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नही है ।

18.5.14
(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी ।

प्रतिलिपिः– आवेदक श्री ओंकार नाथ माहेश्वरी पुत्र स्व0 रघुनाथ माहेश्वरी " **डायरेक्टर** " बालाजी इन्फ्राकेयर प्रा0लि0 द्वारा आराजी संख्या–250 , 251 , मौजा तुलसीपुर परगना देहात अमानत थाना भेलूपुर वाराणसी को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।